न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 124/2024

वादी :-

दयालसिंह पुत्र स्व. रतनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी कुम्हारों का बास ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. गीतादेवी पत्नी मोहनराम जाति जाट (सेंगवा) निवासी सेंगवों का बेरा ग्रम घाणामगरा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी) एवं पदेन उप पंजीयक बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादी - श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या- 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 2- सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांक :- 20/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त पते पर स्थायी रूप से निवास करते है तथा भारतीय नागरिक है। राजस्व ग्राम खेजडला, तहसील बिलाड़ा की राजस्य सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 370 रकबा 7.6208 हैक्टेयर आयी हुयी है, जिसके खाता संख्या 1032 चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार है। जिसमें प्रार्थी का 2/25 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 वीं हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है, शेष हिस्सा की भूमि चालु जमाबन्दी में दर्ज अन्य सहखातेदारान के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। उक्त खसरे की भूमि को प्रार्थना पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से संबोधित किया जायेगा। वादी की वंशावली वादपत्र के पैरा सं. 3 में वर्णितानुसार है। उपरोक्त वंशावली वृक्ष के अनुसार रतनसिंह जी प्रार्थी के पिता थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 19.12.2016 को हो चुका है। स्व. रतनसिंह के वारिस प्रार्थी, प्रार्थी का भाई बलवीरसिंह व प्रार्थी की बहने सुशीला, सुमित्रा, इन्द्रा व प्रार्थी की माता मैनादेवी है तथा प्रार्थी की माता मैनादेवी का भी स्वर्गवास दिनांक 22.02.2023 को हो चुका है। वादग्रस्त कृषि भूमि में पूर्व में मगा वल्द शिम्मू का 1/5 वां हिस्सा व हिम्मता वल्द धूला का 1/5 वां हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज था, जिसे प्रार्थी के पिता रतनसिंह जी ने वर्ष 1962 में 1200/- रूपये प्रतिफल के रूप में खातेदार मंगा व हिम्मता को अदा कर उक्त हिस्सा की वादग्रस्त कृषि भूमि उनसे खरीद की। हिम्मता वल्द धूला से खरीदसुदा 1/5 वां

हिस्से की भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज स्व. रतनसिंह जी द्वारा अपने जीवनकाल में करवा दिया परन्तु मंगा वल्द शिम्भू से खरीदसुदा 1/5 वां हिस्से की भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज स्व. रतनसिंह जी द्वारा अपने जीवनकाल में नहीं करवाया। स्व. रतनसिंह जी निर्वसीयत फौत होने से हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार मंगा वल्द शिम्भू से खरीदसुदा 1/5 वां हिस्से की भूमि के सम्बंध में हक व अधिकार प्रार्थी व स्व. रतनसिंह जी के वंशावली वृक्ष में उल्लेखित वारिसानों को प्राप्त हुआ। प्रार्थी व स्व. रतनसिंह जी के वारिसान बलवीरसिंह, मैनादेवी, सुशीला, सुमित्रा, इन्द्रा द्वारा भंगा वल्द शिम्भू से रतनसिंह जी द्वारा खरीदसुदा 1/5 वां हिस्से की भूमि के सम्बंध में रतनसिंह जी निर्वसीयत फौत होने से हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार प्राप्त हक व अधिकार के सम्बंध में घोषणा हेतु वाद माननीय न्यायालय में पेश किया, जिसके दर्ज संख्या 61/2021 है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2022 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी व स्व. रतनसिंह जी के उपरोक्त वारिसान को वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/5 वां हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया तथा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2022 की पालना में घोषित सहखातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी व स्व. रतनसिंह जी के उपरोक्त वारिसान के नाम दर्ज की गयी। हिम्मता वल्द धूला से खरीदसुदा 1/5 वां हिस्से की भूमि रतनसिंह जी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन द्वारा प्रार्थी व स्व. रतनसिंह जी के उपरोक्त वारिसान के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी की माता मैनादेवी फौत होने पर मैनादेवी के स्थान पर प्रार्थी व स्व. रतनसिंह जी के वारिस बलवीरसिंह, सुशीला, सुमित्रा, इन्द्रा का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। इस प्रकार स्व. रतनसिंह जी की खरीदसुदा 2/5 हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता रतनसिंह जी व प्रार्थी की माता मैनादेवी फौत होने से प्रार्थी व बलवीरसिंह, सुशीला, सुमित्रा, इन्द्रा प्रत्येक को जरिये उतराधिकार 1/5 वां हिस्सा निहित व दर्ज हुआ, यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 2/25 वाँ हिस्सा, बलवीरसिंह का 2/25 वीं हिस्सा, सुशीला का 2/25 वां हिस्सा, सुमित्रा का 2/25 वां हिस्सा, इन्द्रा का 2/25 वीं हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। इस प्रकार उपरोक्त निहित व दर्ज हिस्से की भूमि प्रार्थी व स्व. रतनसिंह जी व स्व. मैनादेवी के उपरोक्त वारिसान को जरिये उत्तराधिकार निहित व प्राप्त होने से उपरोक्त निहित व दर्ज हिस्से की भूमि प्रार्थी व स्व. रतनसिंह जी के उपरोक्त वारिसान की पुश्तैनी व अविभाजित कृषि भूमि है। प्रार्थी की बहन सुमित्रा फौत होने से सुमित्रा का निहित व दर्ज 2/25 वां हिस्सा उसके वारिस पुत्र कार्तिक, शक्तिसिंह व पुत्री मोनिका प्रत्येक को 2/75-2/75-2/75 वां हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। स्व. रतनसिंह जी के वारिस बलवीरसिंह द्वारा अपना निहित व दर्ज 2/25 वां हिस्सा की भूमि, स्व. रतनसिंह जी की वारिस इन्द्रा द्वारा अपने निहित व दर्ज 2/25 वां हिस्सा में से 1/2 हिस्से की भूमि, स्व. रतनसिंह जी की वारिस सुशीला द्वारा अपने निहित व दर्ज 2/25 वां हिस्से में से 1/2

कलक्टर
एण्ड अधिकारी
लाडा

हिस्से की पुश्तैनी व अविभाजित भूमि प्रार्थी की बिना सहमति के व बिना विभाजन के जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 05.10.2023 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को बैचान कर दी तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 3918 के आधार पर खरीदसुदा भूमि संयुक्त रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में 1/5 वां हिस्सा के रूप में दर्ज की गयी। स्व. रतनसिंह जी के वारिस बलवीरसिंह, सुशीला व इन्द्रा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को बैचान की गयी वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी होने से उन्हे प्रार्थी की सहमति के बिना व बिना विभाजन के अप्रार्थी संख्या 1 को बैचान करने का कानूनन अधिकार नही था तथा कानूनन उक्त बैचानसुदा भूमि पहले प्रार्थी को खरीद करने का अधिकार था। इसलिए स्व. रतनसिंह जी के वारिस बलवीरसिंह, सुशीला व इन्द्रा द्वारा प्रार्थी की बिना सहमति के, बिना विभाजन के व खरीद हेतु प्रार्थी के समक्ष प्रस्ताव नहीं रखने से, उनके द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित व दर्ज उनके उपरोक्त हिस्से की भूमि के सम्बंध में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 05.10.2023 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 22 में वर्णित प्रावधानों से बाधित होने से अवैध, नल एण्ड वोईड है तथा अवैध, नल एण्ड वोईड रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 05.10.2023 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है व न ही उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी व अन्य दर्ज सहखातेदार के संयुक्त कब्जा काश्त में कानूनन किसी प्रकार की दखल करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 की स्थिति कानून की दृष्टि में अजनबी क्रेता की है, इस आधार पर भी अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी व अन्य दर्ज सहखातेदार के संयुक्त कब्जा काश्त में कानूनन किसी प्रकार की दखल करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 19.09.2024 को रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 05.10.2023 के आधार पर स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 3918 के आधार पर खरीदसुदा भूमि संयुक्त रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में 1/5 वां हिस्सा के रूप में दर्ज होने के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि पर आयी तथा विशेष भू भाग पर तारबन्दी व काश्त करने का प्रयास किया, जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी मौके पर गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 को समझाईश की कि ष्बिना विभाजन के आपकी स्थिति कानून की दृष्टि में अजनबी क्रेता की है, आपका रजिस्टर्ड बैचाननामा भी कानून की दृष्टि में अवैध, नल एण्ड वोईड है, जिसके आधार पर आपको वादग्रस्त कृषि भूमि के विशेष भू भाग पर बिना बंटवाड़ा के तारबन्दी करने व काश्त करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है।ष तब प्रार्थी की समझाईश से अप्रार्थी संख्या 1 मौके से वापस चली गयी परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जाते-जाते प्रार्थी को इस आशय की धमकी दी कि ष्इस बार तो वो वापस जा रही है, आयन्दा मौका देखकर उसकी खरीदसुदा

कलक्टर
एण्ड अधिकारी
लाड़ा

भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेंगी तथा तारबन्दी करके रहेंगी।ड इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि का बिना विभाजन के, अवैध व नल एण्ड वोईड रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 05.10.2023 के आधार पर जबरन कब्जा करने तथा विशेष भू भाग पर तारबन्दी करने पर आमादा है, जबकि कानूनन उसे बिना विभाजन के व अवैध व नल एण्ड वोईड रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 05.10.2023 के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि पर न तो कब्जा करने का अधिकार है व न ही तारबन्दी करने का अधिकार है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त गैर कानूनी कृत्य कारित करने से रोकने हेतु उसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। यदि उसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि पर उक्त गैर कानूनी कृत्य कारित करने में सफल हो जायेंगी, जिससे प्रकरण में मुकदमेंबाजी व पैचिदगिया बढ जायेगी तथा प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्राप्त हक व अधिकार से वंचित हो जायेंगा तथा प्रार्थी का वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त गैर कानूनी कृत्य कारित करने से रोकने हेतु उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी व अन्य दर्ज सहखातेदार की सयुक्त खातेदारीसुदा है तथा जिस पर प्राथी व अन्य दर्ज सहखातेदार मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है एवं काश्त कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 को अवैध, नल एण्ड वोईड रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 05.10.2023 के आधार पर खरीदसुदा भूमि पर बिना विभाजन के न तो कब्जा करने का अधिकार है व न ही विशेष भू भाग पर तारबन्दी, कच्चा या पक्का निर्माण करने का अधिकार है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 अवैध, नल एण्ड वोईड रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 05.10.2023 के आधार पर खरीदसुदा भूमि पर बिना विभाजन के जबरन कब्जा करने व विशेष भू भाग पर तारबन्दी व कच्चा व पक्का निर्माण करने पर आमादा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना विभाजन के उक्त गैर कानूनी कृत्य कारित करने से रोकने हेतु यदि उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर विशेष भू भाग पर तारबन्दी व कच्चा व पक्का निर्माण कर देंगी, जिससे प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेंबाजी बढ जायेगी व प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्राप्त हक व अधिकार से वंचित हो जायेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन रूपयों में नही किया जा सकता। इसलिए अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना

कलक्टर
ड अधिकारी
ड़ा

न्यायहित में आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो राजस्व ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 370 रकबा 7.6208 हैक्टेयर किस्म बारानी ए पर प्रार्थी के संयुक्त कब्जा काश्त में न तो स्वयं दखलन्दाजी करे व न ही अन्य किसी के जरिये करावे तथा उक्त खसरे की भूमि का विभाजन करवाये बिना विशेष भू भाग पर न तो स्वयं काश्त करे, न ही अन्य किसी के जरिये करावे व न ही उक्त खसरे की भूमि का विभाजन करवाये बिना विशेष भू भाग पर न तो स्वयं न ही अन्य किसी के जरिये तारबन्दी, कच्चा या पक्का निर्माण करे तथा उक्त खसरे की भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किये जाने से वादी की साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम खेजडला के खसरा नंबर 370 रकबा 7.6208 हैक्टयर किस्म बारानी ए में वादी रेकर्डेड खातेदार है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073-2076 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादी दयालसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 2/25 एवं प्रतिवादी सं. 1 गीतादेवी पत्नी मोहनराम हिस्सा 1/5 बतौर सहखातेदार दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। वादी द्वारा अन्य सहखातेदार को बतौर पक्षकार संयोजित नही किया है ऐसी स्थिति में वादी जो कि 2/25 हिस्से का खातेदार है सम्पूर्ण आराजी के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। साथ ही वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह विश्वास करने को बतौर पक्षकार संयोजित नही करने एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को क्षति कारित करने एवं खुर्द बुर्द करने की प्रबल आशंका से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण वाद वादी बखूबी साबित नही होता है अतः वाद वादी अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

:- **आदेश:-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/01/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी — बनाम — प्रतिवादीगण

दयालसिंह — गीता वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 124/2024

निर्णय दिनांक :- 20/01/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा — सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस फर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा — सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा